इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2026—श्रावण 1, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2026

क्र. 7032/119/इक्कीस—अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 11 OF 2026

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2026

TABLE OF CONTENTS

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Substitution of certain words throughout the principal Act.
3. Amendment of citation and Section 1.
4. Amendment of Section 2.
5. Amendment of Section 6.
6. Amendment of Section 9.
7. Amendment of Section 12.
8. Amendment of Section 21.
9. Amendment of Section 24.
10. Amendment of Section 25.
11. Amendment of Section 27.
12. Amendment of Section 28.
13. Amendment of Section 32.
14. Amendment of Section 51.
15. Amendment and addition of new Schedule.

MADHYA PRADESH BILL

NO. 11 OF 2026

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2026

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Substitution of certain words throughout the principal Act.

2. Throughout the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No.19 of 2011) (hereinafter referred to as the principal Act):-

(i) for the name of department as "Medical Education" wherever it occurs, the name of department as "Public Health & Medical Education" shall be substituted;

(ii) for the word "Rector", wherever it occurs, the word "Pro Vice-Chancellor" shall be substituted.

Amendment of citation and Section 1.

3. In the principal Act :-

(i) in the citation for the word "Ayurvigyan" the word "Swasthya" shall be substituted.

(ii) in Section 1:-

(a) in sub-section (1) for the word "Ayurvigyan" the word "Swasthya" shall he substituted;

(b) for existing sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) It extends to all the districts specified in the Division wise and District wise list as shown in Schedule II.".

Amendment of Section 2.

4. In Section 2 of the principal Act:-

(i) the clauses (e), (f), (l) and (t) shall be omitted.

(ii) after the clause (t) so omitted, the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ta) "National Commission for Homoeopathy" means the National Commission for Homoeopathy constituted under Section 3 of the National Commission for Homoeopathy Act. 2020 (15 of 2020);

(tb) "National Commission" for Indian System of Medicine" means the National Commission for Indian System of Medicine constituted under Section 3 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);

(tc) "National Dental Commission" means the National Dental Commission constituted under Section 3 of the National Dental Commission Act, 2023 (30 of 2023);

(td) "National Medical Commission" means the National Medical Commission constituted under Section 3 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019);".

Amendment of Section 6.

5. In Section 6 of the principal Act:-

(i) in sub-section (1), for the words "the whole of the State of Madhya Pradesh", the words "all the districts specified in Schedule II" shall be substituted;

(ii) for clause (a) of sub-section (3), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) the colleges or schools or institutions, which have not been approved by the National Medical Comission, National Dental Commission, National Commission for Homoeopathy, National Commission for Indian System of Medicine, as the case may be or the Government of Madhya Pradesh;".

Amendment of Section 9.

6. In Section 9 of the principal Act:-

(i) in sub-section (1), for the words "on his own motion and" the words "on his own motion or "shall be substituted;

(ii) in sub-section (3), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that where an inspections or inquiry is caused to be made on a request from the State Government, the Chancellor shall take action under this sub section in consultation with the State Government.".

Amendment of Section 12.

7. For sub-section (1) of Section 12 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of not less than three persons recommended by the committee constituted under sub section (2) or sub-section (6). A person possessing highest level of competence, integrity, moral and institutional commitment shall be appointed as Vice-Chancellor. The person to be so appointed as Vice-Chancellor shall possess at least ten years' experience as Professor in a college or university in the field of health education, or at least ten years' experience as distinguished academician with leadership in a research of academic administrative organisation of national level:

Provided that if the person or persons approved by the Chancellor out of those recommended by the commitee are not willing to accept the appointment, the Chancellor may call for fresh recommendations from such committee:

Provided further that the first Vice-Chancellor shall he appointed by the Chancellor in consultation with the State Government:

Provided also that no person who has completed the age of sixty-six years shall be eligible for appointment or reappointment as Vice-Chancellor.".

8. In Section 21 of the principal Act, after sub-section (4) the following sub-section shall be added, namely:- **Amendment of Section 21.**

"(5) The Secretary of the Court shall be the Registrar.".

9. In Section 24 of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall he added, namely:- **Amendment of Section 24.**

"(5) The Registrar shall be the Member Secretary of the Executive Council.".

10. In Section 25 of the principal Act, in clause (vi), at the end of sub-clause (b), the word "or" shall be omitted and thereafter sub-clause (c) shall also be omitted. **Amendment of Section 25.**

11. In sub-section (1) of Section 27 of the principal Act, after clause (x), the following clause shall be added, namely:- **Amendment of Section 27.**

"(xi) The Registrar, who shall be the Member Secretary.".

12. In Section 28 of the principal Act, in sub-section (1), for the existing proviso of clause (v), the following proviso shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 28.**

"Provided that no such applications shall be considered, unless the institution has been approved by the National Medical Commission, National Dental Commission, National Commission for Homoeopathy, National Commission for Indian System of Medicine or the Government of Madhya Pradesh, as the case my be;".

13. In Section 32 of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be added, namely :- **Amendment of Section 32.**

"(5) The Registrar, who shall be the Member Secretary.".

14. In Section 51 of the principal Act:- **Amendment of Section 51.**

(i) for the word "Schedule", wherever it occur, the word "Schedule I" shall be substituted.

(ii) in sub-Section (2), for the words "one year", the words "three years" shall be substituted.

15. In the principal Act, the existing Schedule shall be renumbered as Schedule I and after the Schedule I so renumbered, the following Schedule shall be added namely:- **Amendment and addition of new Schedule.**

"SCHEDULE II

[See Section 1(2) and Section 6(1)]

Division-wise and District-wise List under the Jurisdiction of

Madhya Pradesh Swasthya Vishwavidyalaya

S. No.	Name of the Division	Name of the District
1.	Jabalpur	Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Seoni, Mandla, Balaghat, Chhindwara, Dindori, Pandhurna.
2.	Sagar	Sagar, Damoh, Panna, Chhatarpur, Tikamgarh, Niwari
3.	Rewa	Rewa, Satna, Sidhi, Singrauli, Maihar, Mauganj
4.	Shahdol	Shahdol, Umaria, Anuppur.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government has decided to establish the Madhya Pradesh Dhanvantari Swasthya University at Ujjain. Consequently, it has become necessary to amend the provisions of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2011 (No. 19 of 2011) situated at Jabalpur relating to the jurisdiction of the existing University and other connected matters, so as to provide for a clear and systematic demarcation of the jurisdiction, administrative responsibilities and statutory powers of both the Universities.

2. Further, it is also proposed to amend the Act to align its provisions with the existing National Regulatory Commissions, the prevailing administrative framework, updated nomenclature and other necessary statutory requirements, so as to keep the Act current and effective in accordance with the present legal and administrative framework.

3. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated the 19th July, 2026.

RAJENDRA SHUKLA
MEMBER-IN-CHARGE.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2026—आषाढ़ 29, शक 1948

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2026

क्र. 12591—मप्रविस—16—विधान—2026.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम—64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२६

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२६

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मूल अधिनियम में सर्वत्र कतिपय शब्दों का स्थापन.

३. उद्धरण तथा धारा १ का संशोधन.

४. धारा २ का संशोधन.

५. धारा २ का संशोधन.

६. धारा २ का संशोधन.

७. धारा २ का संशोधन.

८. धारा २ का संशोधन.

९. धारा २ का संशोधन.

१०. धारा २ का संशोधन.

११. धारा २ का संशोधन.

१२. धारा २ का संशोधन.

१३. धारा २ का संशोधन.

१४. धारा २ का संशोधन.

१५. अनुसूची का संशोधन तथा नवीन अनुसूची का जोड़ा जाना.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२६

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२६

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाए :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होगा.

मूल अधिनियम में सर्वत्र कतिपय शब्दों का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १६ सन् २०११) (जो इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" के नाम से निर्दिष्ट है) में सर्वत्र,-

(एक) विभाग का नाम "चिकित्सा शिक्षा" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, विभाग का नाम "लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा" स्थापित किया जाए;

(दो) शब्द "कुलाधिसचिव" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द "प्रति-कुलगुरु" स्थापित किया जाए;

(तीन) मूल अधिनियम के हिन्दी संस्करण में जहां कहीं भी शब्द "कुलपति" आया है, के स्थान पर, शब्द "कुलगुरु" स्थापित किया जाए.

उद्धरण तथा धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम में,-

(एक) उद्धरण में, शब्द "आयुर्विज्ञान" के स्थान पर, शब्द "स्वास्थ्य" स्थापित किया जाए.

(दो) धारा १ में,-

(क) उपधारा (१) में, शब्द "आयुर्विज्ञान" के स्थान पर, शब्द "स्वास्थ्य" स्थापित किया जाए;

(ख) विद्यमान उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(२) इसका विस्तार अनुसूची दो में दर्शाए गए अनुसार संभागवार तथा जिलेवार सूची में विनिर्दिष्ट समस्त जिलों पर होगा.

धारा २ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा २ में,-

(एक) खण्ड (ड.), (च), (ठ) और (न) का लोप किया जाए;

(दो) इस प्रकार विलोपित खण्ड (न) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(न क) "राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, २०२० (२०२० का १५) की धारा ३ के अधीन गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग;

(न ख) "राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, २०२० (२०२० का १४) की धारा ३ के अधीन गठित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग;

(न ग) "राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, २०२३ (२०२३ का ३०) की धारा ३ के अधीन गठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग;

(न घ) "राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, २०१९ (२०१९ का ३०) की धारा ३ के अधीन गठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग;".

धारा ६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में,-

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य'' के स्थान पर, शब्द ''अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट समस्त जिलों'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (३) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात्:-

(क) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी, जिन्हें यथास्थिति, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो.

धारा ९ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा९ में,-

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''स्वप्रेरणा से और'' के स्थान पर, शब्द ''स्वप्रेरणा से या'' स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (३) में, विधमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

''परंतु जहां निरीक्षण या जांच राज्य सरकार द्वारा निवेदन किए जाने पर करवाई गई है, वहां कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, इस उपधारा के अधीन कार्रवाई करेगा.''.

धारा १२ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

''(१) कुलगुरु की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम ३ व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी. सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति को ही कुलगुरु नियुक्त किया जाएगा. इस प्रकार कुलगुरु के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए या राष्ट्रीय स्तर के किसी अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में नेतृत्व के साथ विशिष्ट शिक्षाविद् होने का १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए:

परंतु यदि समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति, नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिए, रजामंद न हों तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगा:

परंतु यह और कि कुलगुरु, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परंतु यह भी कि कोई व्यक्ति जिसने छियासठ वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, कुलगुरु के रूप में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.''.

धारा २१ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (४) के पश्चांत् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

''(५) सभा का सचिव ''कुल सचिव होगा.''.

धारा २४ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा २४ में, उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:-

''(५) कुलसचिव कार्य परिषद् का सदस्य-सचिव होगा.''.

धारा २५ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा २५ में, खण्ड (छह) में, उपखण्ड (ख) के अंत में शब्द ''या'' का लोप किया जाये और उसके पश्चात् उपखण्ड (ग) का लोप किया जाए.

धारा २७ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा २७ में, की उपधारा (१) में, खण्ड (दस) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:-

''(ग्यारह) कुलसचिव, जो कि सदस्य सचिव होगा.''.

१२. मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (पांच) के विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:- धारा २८ का संशोधन.

"परंतु ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि संस्था को, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अथवा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो;".

१३. मूल अधिनियम की धारा ३२ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:- धारा ३२ का संशोधन.

"(५) कुलसचिव, जो कि सदस्य सचिव होगा.".

१४. मूल अधिनियम की धारा ५१ में,- धारा ५१ का संशोधन.

(एक) शब्द "अनुसूची" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-एक" स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं.

१५. मूल अधिनियम में, विद्यमान अनुसूची को अनुसूची-एक के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित अनुसूची-एक के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात्:- अनुसूची का संशोधन तथा नवीन अनुसूची का जोड़ा जाना.

"अनुसूची-दो"

[धारा १(२) तथा धारा ६ (१) देखिए]

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत संभागवार एवं जिलेवार सूची

क्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम
१.	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, नरसिंपुर, सिवनी, मण्डला, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, डिण्डोरी, पांढुर्ना.
२.	सागर	सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी
३.	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर, मउगंज
४.	शहडोल	शहडोल, उमरिया, अनूपपुर.".

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य सरकार द्वारा उज्जैन में मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है। परिणाम स्वरूप जबलपुर स्थित विद्यमान विश्वविद्यालय की अधिकारिता और अन्य जुड़े हुए विषयों से संबंधित मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १६ सन् २०११) के उपबंधों को संशोधित करना आवश्यक हो गया है, जिससे दोनों विश्वविद्यालयों की अधिकारिता, प्रशासनिक दायित्वों और वैधानिक शक्तियों के लिए स्पष्ट और व्यवस्थित सीमांकन हेतु उपबंध किए जा सकें.

२. यह और कि विद्यमान राष्ट्रीय विनियामक आयोग, प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था, अद्यतन नाम पद्धति और अन्य आवश्यक वैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप इसके उपबंधों का संरेखण करने हेतु अधिनियम को संशोधित किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे अधिनियम को वर्तमान विधिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अद्यतन और प्रभावी रखा जा सके.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक : १६ जुलाई, २०२६.

राजेन्द्र शुक्ल,
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.